बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग। पटना, बिहार।

सेवा में.

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक <u>5</u>] 9] 19

विषय:--

जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्तियों एवं सरकारी भूमि पर आवासित परिवारों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:--

मुख्य सचिव, बिहार का पत्र (विभागीय पत्रांक-1758, दिनांक-08.07.19) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 2105 दिनांक 02.08.2019 एवं पत्रांक 2292 दिनांक-16.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग का कृष्या स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दो घटकों भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) एवं स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment) के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा अधिसूचित किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में निहित प्रावधान के आलोक में (1) जिला मुख्यालय के नगर निकायों में मलीन बस्ती एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमित आवासित लोगों का अगर उसी स्थान पर पुनर्विकास संभव हो (Tenable land) तो आवासित परिवार जिस भूमि पर आवासित हैं, उस भूमि के स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति (NOC) प्राप्त कर उक्त भूमि पर बहुमंजिले आवास बनाकर लाभुकों को आवासित करने का प्रस्ताव आपके अध्यक्षता में गठित DLPMC से पास कराकर विभाग को भेजने एवं (2) यदि मलिन बस्तियों तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमित परिवारों का उसी स्थान पर पुर्नवास संभव न हो (Untenable land) तो आवश्यकतानुसार शहर में या उसके आस-पास भूमि को चिन्हित कर भूअर्जन करने हेतु प्रस्ताव DLPMC से पास कराकर विभाग को भेजने का अनुरोध किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग के दिनांक 02.08.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र में 10 दिनों के अन्दर प्रारंभिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना था तथा आवास निर्माण एवं भूअर्जन का प्रस्ताव एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु किसी भी जिला से अबतक प्रारंभिक प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मिशन अवधि 2015-2022 है एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में सभी पात्र लाभुकों का प्रस्ताव स्वीकृत करा लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक— 06.06.2019 की समीक्षात्मक बैठक में दिशा निर्देश दिए गये थे, जिसकी जानकारी आपको प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में भी दी जा चुकी है।

अतः वर्णित के संदर्भ में निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में जमीन से संबंधित प्रतिवेदन एवं उपर्युक्त वर्णित बिन्दू 1 एवं 2 के आलोक में भूअर्जन हेतु प्रस्ताव दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसकी समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा आगामी विडियों क्रान्क्रेसिंग (VC) में की जाएगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

प्रधान साचव, नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक-5/9/19

प्रतिलिपि:— नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी सभी नगर परिषद एवं पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित साथ ही निदेश दिया जाता है कि निकाय में उपलब्ध आकंडों के साथ जिला पदाधिकारी से समन्वय करके पत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुपालन में पूर्ण सहयोग किया जाए।

- 2 प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि वर्णित मामले की समीक्षा एवं अनुश्रवण अपने स्तर से भी किया जाए।
- 3 प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

प्रधान सचिवं, नगर विकास एवं आवास विभाग्।

Rton